भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 71

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

***71. श्री प्रेम दास राई :**
श्री ताम्रध्वज साहू :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कार्यकलापों हेतु उनके औसत शुद्ध लाभ का कम-से-कम दो प्रतिशत हिस्सा व्यय करना अनिवार्य है यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान महानवरत्न और नवरत्न कंपनियों सहित कंपनियों द्वारा किया गया वार्षिक औसत व्यय कंपनी-वार कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार सी.एस.आर. के अंतर्गत और अधिक कार्यकलापों को शामिल करने और व्यय में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सी.एस.आर. के अंतर्गत कंपनियों द्वारा निधियों के कम उपयोग/गलत उपयोग तथा भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) सीएसआर के अंतर्गत कंपनियों द्वारा निधियों के उपयोग सहित कार्यकलापों की निगरानी हेतु सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया गया है; और

(ङ) सीएसआर नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ड.) : एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

*****

'कारपोरेट सामाजिक दायित्व' से संबंधित 27 फरवरी, 2015 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 71 के भाग (क) से (ड.) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संबंध में कारोबार या निवल मूल्य या निवल लाभ की निश्चित न्युनतम सीमा से अधिक वाली कंपनियो द्वारा तीन पूर्व वित्त वर्षों के दौरान अर्जित अपने औसत निवल लाभ का कम-से-कम दो प्रतिशत भाग कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर खर्च करना अपेक्षित है।

चालू वित्त वर्ष उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों द्वारा सीएसआर कार्यान्वयन का पहला वर्ष है। कंपनियों द्वारा सीएसआर के अंतर्गत किए गए व्यय के ब्यौरे कंपनियों द्वारा वर्ष 2015 के अंत में फाइल किए जाने वाले अनिवार्य प्रकटीकरण के बाद उपलब्ध होंगे।

सीएसआर के अंतर्गत कुछ अन्य कार्यकलापों को शामिल करने या व्यय में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(घ) : कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर नीति के कार्यान्वयन की निगरानी का दायित्व संबंधित कंपनी के बोर्ड का है।

(ड़) : कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 अधिसूचित कर दिए गए है और कंपनियों द्वारा सीएसआर के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद के लिए परिपत्रों द्वारा स्पष्टीकरण भी जारी किए गए हैं।

*****